निजी शिक्षा : सफलता का द्वार

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़
प्रतिकुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय

शिक्षा की परिभाषा

संस्कृत साहित्य के अनुसार शिक्षा संस्कृत की ' शिक्ष् ' धातु से बना है। शिक्षा का अर्थ है– ज्ञान प्राप्त करना या विद्या ग्रहाण करना। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के "एजूकेशन" (म्कनबंजपवद) नामक शब्द का हिन्दी रूपांतरण है। एजूकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन (स्ंजपद) भाषा के एड्रकेटम (म्कनबंजनउ) शब्द से हुई। एड्रकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है– ई (म्). डूकेटम (क्नबंजनउ)। ई का अर्थ है "अंदर से" और "डूकेटम" का अर्थ है – अग्रसर करना या आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ–भीतरी शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना। शिक्षाशास्त्री लॉक (स्वबाम) के कथानुसार, "पौधों का विकास कृषि द्वारा, मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है।" अमेरिकी शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी (श्रवीद क्मूमल) ने लिखा है, "जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का"। शिक्षाशास्त्री जे. एफ. हरबार्ट के शब्दों में, "शिक्षा नैतिक चरित्र का उत्तम विकास है"। स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि, "शिक्षा ही व्यक्ति की अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति का साधन है। शिक्षा समाज की आधारशिला मानी जाती है। शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।" थामसन (जीवउेवद) ने लिखा है, "शिक्षा एक प्रकार का वातावरण है। जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार, आदतों, चिंतन और दृष्टिकोण पर स्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है।"

शिक्षा का उद्देश्य

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु तुल्य होता है। शिक्षा समाज की आधारशिला है। समाज में जैसी शिक्षा व्यवस्था होगी वैसा ही समाज बनेगा। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। वही शिक्षा फलदायी होती है जिसके उद्देश्य परिस्थिति के अनुसार तय किए गये हैं। डॉ राधाक्ष्णन् ने लिखा है, "भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा का सम्बन्ध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से न रहकर, केवल मस्तिष्क के विकास से रह गया है"। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का सुन्दर तथा दृढ़ चरित्र निमार्ण होना चाहिए ताकि वह देश तथा समाज का भली–भांति कल्याण कर सके। चरित्र हीनता के कारण ही आज मानव को कष्ट तथा अभाव झेलने पड़ रहे हैं। अतः दार्शनिक बूल्जे ने लिखा है, "संसार में न तो धन का प्रभुत्व है और न बुद्धि का, यदि किसी का प्रभुत्व है तो चरित्र पवित्रता का"।

प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री मैकेन्जी ने शिक्षा का व्यापक उद्देश्य प्रस्तुत करते लिखा है, **"व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है"।** शिक्षा के उद्देश्य परिभाषित करते हुए टी0 रेमाण्ट

ने लिखा है, "शिक्षा विकास का वह क्रम है जो शैशव अवस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आपको अपनी आवश्यकतानुसार धीरे–धीरे भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण को अनुकूल बना लेता है"। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार, "शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में निहित दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है"। महात्मा गांधी के अनुसार, "शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, और आत्मा का उत्कृष्ठ विकास"। जगतगुरू शंकराचार्य की दृष्टि में **"सः विद्या या विमुक्तये"** विद्या वह जो मुक्ति दिलाए। यूनानी दार्शनिक प्लेटो भी शरीर आत्मा दोनों के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखतें हैं, "शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है, जिसके लिए वे योग्य है।" प्लेटो के शिष्य अरस्तू मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास पर बल देते थे। उनके कथनानुसार, "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निमार्ण ही शिक्षा का उद्देश्य है।

सरकार केन्द्रित शिक्षा

लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। भारतीय लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता अपना शासन स्वयं चलाती है, वही शासक है और वही शासित है। यह लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व, न्याय समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के सिद्धातों पर आधारित है। विद्यालय और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का आदर करें और उनकी रूचि, रूझान, योग्यता एवं आवश्यकतानुसार उन्हें विषय और क्रियाओं के चुनाव की सुविधाऐं प्रदान करें और उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं को इस रूप में विकसित करें कि उनसे उनका अपना, समाज का, राष्ट्र का और अन्तोगतवा समूचे संसार का कल्याण हो। इसके लिए विश्वविद्यालयों को विस्तृत पाठ्यचर्या की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए और एक ऐसा सामाजिक पर्यावरण देना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वार्थ से उपर उठकर अपने हित के साथ–साथ समाज हित को भी सामने रखें।

वे शिक्षण विधियॉ अच्छी समझी जाती हैं जो सक्रिय हों। जनतंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उस समय तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि शिक्षण विधियॉ कठोर, परम्परागत, स्थिर तथा स्थायी रूप धारण किए रहें। प्रजातन्त्र का मूल सिद्धांत क्रियाशीलता एवं प्रगतिशीलता है। विद्यार्थी को शिक्षा देने से यह तात्पर्य नहीं होता है कि उसके मस्तिष्क को थोथे ज्ञान से भर दिया जाय वरन् बालक को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाये कि वह सीखने की क्रिया में सक्रिय रहे। उसको स्वयं अपने अनुभव से सीखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाय। मांटेसरी प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, डालटन प्रणाली इत्यादि विद्यार्थी को सीखने में स्वतन्त्रता प्रदान करती हैं। जनतंत्र की भावना विद्यालय संगठन में उसी प्रकार प्रभावशाली होगी जब अध्यापक, प्रधानाचार्य, इंस्पेक्टर (निरीक्षक) आदि के आपसी सम्बन्ध मित्रता और सहयोग पर आधारित होंगे। यदि प्रधानाचार्य और इंस्पेक्टर अध्यापकों पर प्रभुत्व रखकर कार्य करना चाहते हैं तो विद्यालयों का वातावरण दमनात्मक हो जाता है। अध्यापक अपनी स्वेच्छा को दबाने को बाध्य हो जाते हैं। उनमें नये निणर्य करने की, नवीन विचारधारा व्यक्त करने की तथा रूढिवादिता को छोड़कर समाज में नव जीवन संचार करने की शक्ति का विघटन हो जाता है। जनतंत्र शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रधानता दी जानी चाहिए। बालक अपनी जिज्ञासा की शांति ज्ञान प्राप्त करके ही करता है। भाषा के माध्यम से

वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अतः आदर्श जीवन जीने की क्षमता प्रदान करना ही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए।

निजी शिक्षा के लाभ

व्यक्ति अथवा समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने का सबसे अच्छा साधन है –शिक्षा। शिक्षक को अपने विषय के अतिरिक्त देश की सांस्कृतिक गतिविधि से परिचित होना चाहिए। कक्षा में पढाते समय कभी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जातीयता या साम्प्रदायिकता को बढावा मिले शिक्षक का छात्रों से समानता के आधार पर व्यवहार होना चाहिए। छात्रों को प्रजातन्त्रतात्मक मूल्यों से परिचित कराना और उन्हें जीवन में उतारने की प्रेरणा देनी चाहिए। छात्रों में उच्चतम मूल्यों के प्रति निम्न स्तर के मूल्यों का त्याग करने की आदत उत्पन्न करनी चाहिए। समय–समय पर पाठ्यक्रम में उचित संशोधन करना चाहिए। उचित पाठ्य पुस्तकों का निमार्ण किया जाना चाहिए। छात्रों को संवेगों के मार्गान्तरीकरण एवं शोध को शिक्षा दी जानी चाहिए। आजकल बौद्धिक विकास पर ही जोर दिया जा रहा है। इस स्थिति में संशोधन किया जाना चाहिए और छात्रों की भावनाओं को उचित दिशा प्रदान की जानी चाहिए।

रेमण्ट का कथन है कि पाठ्यक्रम शिक्षा के सिद्धान्त नही होते वरन् मूल्यांकन का स्तर होता है। कौनसा ज्ञान अधिक से अधिक उपयोगी है– यही पाठ्यक्रम का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थान मिलना चाहिए। बालको ंकी बुद्धि, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम विषयों का चुनाव होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम स्थानीय साधनों के आधार पर निर्मित होना चाहिए। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के अनुभवों के आधार पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्धारण में बालकों की व्यावसायिक आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। विद्यालय समाज द्वारा समाज की भलाई के लिए स्थापित किए जाते हैं। अध्यापकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे स्वयं पाठ्यक्रम निर्धारित करे। उन्हें शिक्षण पद्धति और पाठ्य पुस्तकों को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

बहुत पुरानी कहावत है– राजा देश में ही पूजा जाता है, विद्वानों की पूजा सारे संसार में होती है। यह भी धारणा है कि पढा–लिखा व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता। शिक्षा को कभी समाप्त न होने वाला धन कहा गया है। शिक्षा से मनुष्य को सामान्यतः तीन प्रकार के लाभ होते हैं– पहला यह है कि उसे मानसिक संतोष मिलता है, दूसरा यह है कि उससे उसे समाज में सम्मान मिलता है। और तीसरा यह है कि उससे उसे आर्थिक लाभ होता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए उसका नैतिक एवं चारित्रिक विकास होना आवश्यक है और यह कार्य शिक्षा द्वारा ही सुचारू रूप से किया जा सकता है। शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास सबसे पहली आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा की उपयोगिता आज के युग में और भी अधिक हो गई है। अतः शिक्षा के द्वारा विद्याथियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास आवश्यक है।

अध्यापक परीक्षा के माध्यम से छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करे तथा छात्र अपनी रिपार्ट के माध्यम से अध्यापक की शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन करे। दोनों के आपसी मूल्यांकन से शिक्षा प्रणाली संतुलित होती है। प्रचलित पाठ्यक्रम में से विद्यार्थी को अपनी रूचि के अनुसार पाठों का चयन कर उसकी प्रस्तुति करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार प्रस्तुति दे सके। इस पद्धति को लागू करने में निजी शिक्षा ही सक्षम है। सरकार केन्द्रित शिक्षा परम्परागत ढांचे से चल रही है, समय–समय पर उसमें परिवर्तन तथा परिमार्जन नहीं किया जा रहा है। आज के वैश्वीकरण युग में नये उपयोगी विचारों तथा सिद्धान्तों को स्थान दिया जा रहा है जो कि निजी शिक्षा से ही संभव है। विश्वविद्यालीय स्तर पर सरकारी प्रतिष्ठानों यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.आई., इन.सी.टी.ई. की मान्यता की अनिवार्यता नहीं की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

शिक्षा का अर्थ विद्यार्थी की भीतरी शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना है। शिक्षा नैतिक चरित्र का उत्तम विकास है। शिक्षा ही व्यक्ति की अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति का साधन है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु तुल्य होता है। शिक्षा समाज की आधारशिला है। शिक्षा का उद्देश्य है– **"सः विद्या या विमुक्तये"**– विद्या वह जो मुक्ति दिलाए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निमार्ण ही शिक्षा का उद्देश्य है।

सरकार केन्द्रित वर्तमान शिक्षण विधियों कठोर, परम्परागत, स्थिर तथा स्थायी रूप धारण किए हुए है जबकि वैश्वीकरण के इस युग में विज्ञान तकनीकि का बहुत बड़ा विकास हुआ है। वर्तमान सरकार केन्द्रित शिक्षा में विश्वविद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और उसमें विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थान मिलना चाहिए। विद्यार्थियों की बुद्धि, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम विषयों का चुनाव होना आवश्यक है जो कि निजी शिक्षा द्वारा ही संभव है। पाठ्यक्रम स्थानीय साधनों के आधार पर निर्मित होना चाहिए। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्धारण में विद्यार्थियों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। यह सभी कार्य निजी शिक्षा से ही संभव है।